

हरियाणा सरकार
मुख्य सचिव, कार्यालय
सामान्य प्रशासन विभाग
(प्रोटोकॉल शाखा)
क्रमांक 16/2/92-4पीपी

दिनांक 25.03.2010

सेवा में

1. राज्य के सभी मण्डल आयुक्त।
2. राज्य के सभी उपायुक्त।
3. राज्य के सभी उप-मण्डल अधिकारी (ना०)।

विषय:- हरियाणा राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों/आई०एन०ए० के सदस्यों तथा उनकी विधवाओं को उनकी पोतियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने बारे।

महोदय,

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर राज्य सरकार के पत्र क्रमांक 16/2/92-4पीपी, दिनांक 20.08.09 की ओर दिलाऊँ जिसमें हरियाणा राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों/आई०एन०ए० के सदस्यों तथा उनकी विधवाओं को उनकी पोतियों की शादी के लिए 51000/- रु० की आर्थिक सहायता प्रत्येक शादी के लिए प्रदान करने की योजना शुरू की गई थी।

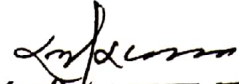
2. स्वतन्त्रता सेनानियों/आई०एन०ए० के सदस्यों तथा उनकी विधवाओं को उनकी लड़कियों तथा आश्रित बहनों की शादी के लिए जो 21000/-रु० की आर्थिक सहायता प्रत्येक शादी के लिए दी जा रही थी, उसे भी 20.08.09 से 21000/- रु० से बढ़ा कर 51000/-रु० किया था।

3. सरकार के पत्र क्रमांक 16/2/92-4पीपी, दिनांक 20.08.09 में वर्णित Grand-daughters शब्द के बारे में समय-समय पर यह सन्देह व्यक्त किया जाता है कि Grand-daughters की परिभाषा में पोतियों के अलावा क्या दोहतियाँ/नातियाँ भी शामिल हैं? इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि 51000/-रु० की

वित्तिय सहायता राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों/आई0एन0ए0 के सदस्यों तथा उनकी विधवाओं को केवल उनकी पोतियों की शादी के लिए ही दी जानी है।

भवदीय

9
C


(सतीश कुमार शर्मा)

अवर सचिव, प्रोटोकोल, हरियाणा सरकार।
भाग सिंह
25-3-10

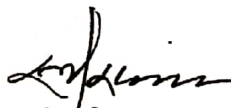
पृष्ठ क्रमांक 16/2/92-4पीपी

दिनांक, चण्डीगढ़ 25.03.2010

एक प्रति निम्नलिखित को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार वित्त विभाग (एफ0जी0-11 शाखा)।
 2. अध्यक्ष, हरियाणा स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान समिति।
 3. कोषपाल, पुण्य अक्षय निधि, हरियाणा एस0सी0ओ0 नं0-909, दुसरी मंजिल मनीमाजरा (यु.टी.), चण्डीगढ़।
 4. निदेशक, सूचना, जनसम्पर्क एवं सांस्कृतिक विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
 5. राज्य प्रौद्योगिक अधिकारी (निक) हरियाणा सिविल सचिवालय, चण्डीगढ़।
- कृपया इसे राज्य सरकार तथा मुख्य सचिव, कार्यालय की websites पर uploading करने का कष्ट करें।

9
C



(सतीश कुमार शर्मा)

अवर सचिव, प्रोटोकोल, हरियाणा सरकार।
भाग सिंह
25-3-10

